न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

रा.प्र.कमांक, ~~निग/2999/1/15~~ पुर्नस्थापना (Reo) /2017

पुनरीक्षणकर्तागणः— मोतीलाल एवं अन्य

विरूद्व

उत्तरवादीगणः— श्रीमती जगोती बाई एवं अन्य

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने बाबत्

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करता है:—

1— यह कि प्रकरण निगरानी/2999/1/15 दिनांक 29/3/2016 को माननीय न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में खारित हो गया है । यह कि मै शशांक ~~शेखर~~ त्रिवेदी अधिवक्ता नियमित रूप से इस प्रकरण में हाजिर होता रहा हूँ ।

2— यह कि कुछ पेशियों के पश्चात यह प्रकरण गुम हो गया तथा माननीय न्यायालय में अथक परिश्रम करके ढूंढने के पश्चात भी प्रकरण नहीं मिल सका ।

3— यह कि, मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी को भी इस संबंध में अवगत कराया गया तब उन्होंने अपने लिपिक को प्रकरण को ढूंढने को कहा तथा मुझसे कहा कि मै सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन सचिव, राजस्व मण्डल ग्वालियर को भेजें । तत्पश्चात् मैने एक आवेदन सूचना के अधिकार के तहत सचिव, राजस्व मण्डल को भेजा

4— यह कि, मै स्वंय जब इस केस की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्वालियर म.प्र. राजस्व मण्डल मोती महल गया तब मुझे जानकारी हुई कि प्रकरण निगरानी 2999/1/15 29/3/2016 को अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है । फिर मैने ग्वालियर राजस्व मण्डल से सत्यापित प्रति प्राप्त की ।

22 MAR 2017

NOTARY RAMDAS SHARMA JABALPUR (M.P.)

Trivedi
441/21, Shanti Nagar, Damoh Naka, Jbp.

रेस्टो० 9069-I/17 | जिला खण्डवा

27-4-18	आवेदक अधि० की आपत्ति उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता रेस्टोरेशन पर तर्क प्रस्तुत किये गये। विचारोपरान्त प्रकरण रेस्टोर किया जाता है। मूल निगरानी प्रकरण R 2999-I/15 पुनः सुनवाई के लिये नियत किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। प्र० सदस्य	N.F.

Trivedi 27/4/18

3

[कृ. प. उ.